

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

**आदेश**

सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), अररिया का पत्रांक 1224-II दिनांक 30.11.2023 के द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आदेश संख्या-685 दिनांक 17.03.2022 की कंडिका-4 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री कृष्ण कुमार (ASO00055), विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, अररिया को दिनांक 03.01.2023 से 17.11.2023 तक (कुल-15 दिनों) का प्रथम शिशु के देखभाल हेतु उपभोग की गयी पितृत्व अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Signed by Jai Singh

Date: 27-02-2024 10:24:00

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

**प्रतिलिपि :**

1. श्री कृष्ण कुमार (ASO00055), विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित।
2. बन्दोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं निदेशित किया जाता है कि संबंधित कर्मी की निजी संचिका में संधारित करें।